रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937
No. 366] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, नवम्बर, 2015

फा.सं.1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014.-- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संसोधन) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014 तारीख 5 जून, 2015 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 जून, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 20 और 22 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष

और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के 'धातु संदूषक' से संबंधित विनियम 2.1 में,--

(क) उपविनियम 2.1.1 की सारणी के खंड 2 में,--

(1) क्रोमियम से संबंधित क्रम सं. 9 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
	"जिलेटिन	10 ''।

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187–ओ/15/(253)]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक एफ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन फा.सं.1 12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/ एफएसएसएआई/ 2012 तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, 4th November, 2015

F.No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide the Food Safety and Standards Authority of India notification number F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014 dated the 5th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th June, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 22 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the

following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1 **Short title and commencement.- (1**) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1 relating to 'Metal Contaminants', -

(a) in sub-regulation 2.1.1, in clause (2), in the Table,-

(1) against serial number 9 relating to Chromium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Name of the metal contaminants	Article of Food	Parts per million by weight
Chromium	"Gelatin	10".

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer
[ADVT. III/4/Exty./187-O/15/(253)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.